

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टेलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-1/डीएलबी/2024/94।

दिनांक: 16/02/2024

--:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री पूनमचन्द नाई	राजस्व निरीक्षक	वीकानेर	लाडनू
2.	श्री लक्ष्मण	राजस्व निरीक्षक	जोधपुर (उत्तर)	विलाड़ा
3.	श्री सुशील कुमार पुरोहित	राजस्व निरीक्षक	सिरोही	पिण्डवाडा
4.	श्री विश्वास गोदारा	राजस्व निरीक्षक	दौसा	पीलीबंगा
5.	श्री अचल गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	जोधपुर (दक्षिण)	अंता
6.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	राजस्व निरीक्षक	डिडवाना	मांगरोल
7.	श्री राधेश्याम छीपा	राजस्व निरीक्षक	एपीओ निदेशालय	वीकानेर
8.	संतोष मीना	राजस्व निरीक्षक	लालसोट	मंडावरी
9.	श्री गंगाराम खटीक	राजस्व निरीक्षक	हनुमानगढ़	जोधपुर (दक्षिण)
10.	श्री संजीव कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	वारावड़	पावटा-प्रागपुरा
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी	राजस्व निरीक्षक	विलाड़ा	वालेसर-सत्ता
12.	मनप्रीत कौर	राजस्व निरीक्षक	सूरतगढ़	नोहर
13.	श्री राजकुमार	राजस्व निरीक्षक	सीकरी	धौलपुर
14.	श्री सूर्यकान्त शर्मा	राजस्व निरीक्षक	जयपुर (ग्रेटर)	चौमू
15.	श्री नरेन्द्र सिंह तंवर	सहायक राजस्व निरीक्षक	जोधपुर (दक्षिण)	सोजत
16.	श्री देवेन्द्र	सहायक राजस्व निरीक्षक	सोजत	जोधपुर (दक्षिण)
17.	श्री विक्रम सिंह राठौड़	सहायक राजस्व निरीक्षक	पाली	मारवाड़ जंक्शन

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविंदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।

06. कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
07. माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।

(सुरेश कुमार आला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक: 16/02/2024

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-1/डीएलवी/2024/942-100)

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती
8. सुरक्षित पत्रावली।

(चांद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक